UCMS 2022/229.

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सरोज कुमारी बनाम रेशमा देवी उर्फ रेशमी वगैरा

अपील प्रकरण सं0 28 / 2022

अधिवक्ता अपीलार्थी :- श्री राकेश कुमार   अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट :- [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
12.09.2022	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी दिनांक 06.10.2022 को पेश हो। [illegible]	[illegible]
6/10/22	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो० नं० 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बलराज स्वामी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत। शामिल पत्रावली [illegible] प्रारम्भिक आपत्तियों के वास्ते व पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/11/22 को पेश हो।	
21/11/22	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा रेस्पो० नं० 1 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराने हेतु प्रार्थना पत्र मय समन व लिफाफा रजि० हेतु प्रस्तुत किया। अतः रेस्पो० नं० 1 की तामील जरिये रजिस्टर्ड कराई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/12/22 को पेश हो। [illegible]	
21/12/22	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी रेस्पो० नं० 1 दिनांक 17/1/23 को पेश हो। [illegible]	[illegible]
17/1/23	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो० नं० 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र मय फर्द दस्तावेज प्रस्तुत। जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी गयी। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थनापत्र। तलबी दिनांक [illegible] को पेश हो। रेस्पो० नं० 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता [illegible] का वकालतनामा प्रस्तुत। शामिल हो। [illegible]	

08.08.2024

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्त अपीलार्थी को बार–बार रूक–रूक कर आवाजे लगाई गई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं आये। अधिवक्त रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं। परन्तु अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित् धारा 151 सीपीसी दिनांक 12.05.2023 ने अंकन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेशमा देवी का देहान्त दिनांक 09.11.2016 को हो चुका है। प्रार्थीया श्रीगंगानगर में निवास करती है इसलिये प्रार्थीया का रेशमा देवी की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं थी। प्रार्थीया द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर रेशमा देवी को पक्षकार बनाया गया था। रेशमादेवी के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दो पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र का नाम सुखविन्द्र सिंह है जो पूर्व में ही अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के रूप में पक्षकार स्थापित है तथा दूसरा पुत्र दर्शन सिंह है, जो बचपन में गोद चला गया था, जिस कारण वर्तमान में वह दत्तक पिता के परिवार में निवास कर रहा है। इसलिये वह रेशमादेवी के वारिस की श्रेणी में नही आता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मृतक रेशमा देवी के नाम के आगे मृतक शब्द लिखा जाकर डीलिट किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी की बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु 09.11 2016 को हो चुकी है। अपीलांटा द्वारा अपील मृतक व्यक्ति के खिलाफ पेश की गयी है जिस पर आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी लागू नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आदेश 22 नियम 4 निम्न रूप से उल्लेख किया गया है:–applies only in case where a plaintiff of defendant dies after institution of the suit and thus, under this order the Court has no power to substitute heirs of a party against whom suit was instituted after his death. अतः अपीलांट प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील पेश करने से पूर्व ही रेशमा देवी का देहान्त हो चुका था जिसका अपीलांट को पूर्ण रूप से ज्ञान था। अपील में जानबूझकर रेशमादेवी को पक्षकार बनाया है। इसलिए अपीलांटा द्वारा जो प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है वह स्वतः ही निष्प्रभावी होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः अपीलांटा का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी मय खर्चा खारिज किया जाकर अपील खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों के मध्यनजर पाया कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी वहां लागू होता है जहां दौराने वाद/अपील विचाराधीन होते हुए किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें। उक्त अपील ही मृतक व्यक्ति जो कि दिनांक 09.11.2016 करीब 7 वर्ष 6 माह पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है के विरूद्व पेश की गई है जो न्यायिक दृष्टि से स्वीकार योग्य नही है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर निगरानकर्ता द्वारा मृत व्यक्तिय के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है जो विधिकरूप से संधारण योग्य/पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावें । पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर